तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 2003 / 553 / उदयपुर** **केसर सिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री ईश्वर देवड़ा, अभिभाषक प्रार्थी
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 व 3
श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1

दिनांक : 09 जनवरी, 2020

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय दिनांक 13–1–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– ऐसा ही एक और प्रकरण अपील संख्या–एलआर/2003 /554/उदयपुर बउनवान गौरीशंकर बनाम सरकार में दिनांक 16–12–2019 को निर्णय पारित कर दिया गया था। उक्त दोनों प्रकरणों में एक साथ बहस सुनी गयी थी लेकिन सहवन से प्रकरण संख्या–2003/554 का निर्णय दिनांक 16–12–2019 को गया गया था, लेकिन इस प्रकरण में निर्णय सहवन से नहीं हो पाया था। इस प्रकरण का निर्णय अब किया जा रहा है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम गुडली तहसील मावली के साबिक खसरा नम्बर–889 रकबा 28 बीघा नानालाल व समरथलाल पुत्रान भैरूलाल की खातेदारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / एल.आर. / 2003 / 553 / उदयपुर</u>** **केसर सिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की भूमि थी। संवत 2023 में दोनों भाईयों ने आपस में बंटवारा करा लिया और खसरा नम्बर–889/1 रकबा 14 बीघा नानालाल के हक में आया तथा खसरा नम्बर–4579/889 रकबा 14 बीघा समरथलाल के हक में आया। उक्त विभाजन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया। तभी से दोनों भाई उक्तानुसार कब्जे काश्त में हैं। समरथलाल ने अपने खाते की भूमि खसरा नम्बर–4579/889 दिनांक 7–9–1978 को जरिये पंजीकृत बयनामा से केसरसिंह को बेचान कर दी गई। उक्त विक्रय पत्र को आदिनांक तक किसी ने भी चुनौती नहीं दी है। बन्दोबस्त की कार्यवाही होने पर खसरा नम्बर–4579/889 के उत्तर में खसरा नम्बर–889 को दर्शा दिया। साठ वर्ष पश्चात उपखण्ड अधिकारी, मावली के समक्ष तहसीलदार ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत नक्शा दुरस्ती प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ भू प्रबन्ध विभाग की रिपोर्ट भी संलग्न की है। उपखण्ड अधिकारी ने बिना अपीलान्ट को सूचित किये अपने आदेश दिनांक 21–10–2002 के द्वारा तहसीलदार के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर नक्शे मं संशोधान कर दिया। उक्त आदेश की प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 13–1–2003 द्वारा निरस्त कर दी। उक्त निर्णय दिनांक 13–1–2003 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 2003 / 553 / उदयपुर** **केसर सिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया कि खसरा नम्बर–4579/889 रकबा 14 बीघा का खातेदार केसरसिंह था और खसरा नम्बर 889 रकबा 14 बीघा का खातेदार गौरीशंकर व डा. अखिलेश है तथा राजस्व रिकार्ड में नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 4579/889 के उत्तर में खसरा नम्बर–889 प्रदर्शित किया है और दोनों ही खातेदार इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं लेकिन प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत जाकर निर्णय पारित कर दिया एवं अपीलीय न्यायालय ने भी प्रथम अपील निरस्त करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर दिया कि नक्शा ट्रेस में वर्णित स्थिति के अनुसार उभयपक्ष मौके पर काबिज हैं। लेकिन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–131 व 136 के तहत पक्षकारों को सुनकर निर्णय पारित करने के बजाए विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मावली ने दिनांक 21–10–2002 को निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। विवादित भूमि के संबंध में एक वाद दिनांक 13–11–2006 को डिक्री हो चुका है एवं द्वितीय दावा अभी विचाराधीन है। इसलिये जहां नियमित वाद विचाराधीन हो, वहां संक्षिप्त कार्यवाही को स्थगित कर देना चाहिये था लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने इस कानूनी प्रावधान की अवहेलना कर त्रुटि की है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सीपीसी प्रस्तुत किया था लेकिन विचारण न्यायालय ने बैक डेट में निर्णय पारित कर दिया और अपीलीय न्यायालय ने भी इस बिन्दु को दरकिनार कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / एल.आर. / 2003 / 553 / उदयपुर</u>** **केसर सिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिया। इस कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत है। भू अभिलेख अधिकारी का कर्तव्य है कि वह राजस्व रिकार्ड को सही रूप से संधारित करें। बन्दोबस्त विभाग से बन्दोबस्त के दौरान कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे धारा–131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत संशोधित किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने भू प्रबन्ध विभाग की रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है। द्वितीय अपील का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती हैं इसलिये द्वितीय अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

6– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–131 व 136 के तहत रिकार्ड में संशोधन किया जा सकता है। केवल नक्शा ट्रेस में संशोधन किया गया है और इसके लिये धारा–131 के अन्तर्गत नोटिस देने का कोई प्रावधान नहीं है अतः नोटिस जारी नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय भू प्रबन्ध विभाग की रिपोर्ट के सन्दर्भ में पारित किये हैं जो विधिसम्मत हैं। अतः अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / एल.आर. / 2003 / 553 / उदयपुर</u>** **केसर सिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

8– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली में तहसीलदार मावली ने एक प्रार्थना पत्र धारा––131 सपठित धारा–136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि मूल नक्शा शीट में हुई त्रुटि के संबंध में जिला कलेक्टर, उदयपुर ने भू प्रबन्ध अधिकारी से जांच कराई और भू प्रबन्ध अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर नक्शा ट्रेस में संशोधन हेतु निवेदन किया। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मावली ने सम्पूर्ण रिपोर्ट व नक्शों का अवलोकन कर पाया कि नक्शा ट्रेस बनाने में त्रुटि हुई है और इस त्रुटि को संशोधित करने का अधिकार धारा–131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत भू अभिलेख अधिकारी को प्रदान किया है। राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 17–9–1956 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–131, 132 व 136 के तहत कार्यवाही करने के अधिकार विद्वान उपखण्ड अधिकारियों को प्रदान कर दिये थे अतः विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

9– राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–131 में निम्न प्रावधान हैं :–

> **"131. नक्शा और क्षेत्र पुस्तक को चालू रखना** – सर्वेक्षण और अभिलेख कार्य समाप्त होने के पश्चात नक्शा और क्षेत्र पुस्तक राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार भू अभिलेख अधिकारी द्वारा चालू रखी जायेगी तथा वह

प्रतिवर्ष या ऐसे लम्बे अन्तराल पर, जो राज्य सरकार विहित करे, प्रत्येक गांव या गांव सम्पदा, खेत की सीमाओं में हुये सब परिवर्तन अभिलिखित करायेगा तथा ऐसी किन्हीं गलतियों का सुधार करेगा, जो ऐसे नक्शे या क्षेत्र पुस्तक में की गई प्रतीत हों।''

10– उक्त धारा के तहत भू अभिलेख अधिकारी नक्शों में संशोधन कर सकते हैं। इस धारा के तहत नोटिस देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपीलार्थी की इस आपत्ति में कोई सार नजर नहीं आता है। अपीलीय न्यायालय में भी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर मिल गया था अतः अब अपीलान्ट यह नहीं कह सकते कि उन्हें सुना नहीं गया।

11– विचारण न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नक्शा ट्रेस में जिला कलेक्टर, उदयपुर के आदेश पर जांच अधिकारी भू प्रबन्ध अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रथम अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने के कारण द्वितीय अपील के स्तर पर संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

12– फलस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन व बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**हरि शंकर गोयल**)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 2003 / 553 / उदयपुर** **केसर सिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए